महेश ग्रोवर, न्यायमूर्ति

सरबती,-याचिकाकर्ता

बनाम

फूलवती, प्रतिवादी

सी.आर.एल.डब्ल्यू.पी. 2006 की संख्या 79

29 फरवरी, 2008

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226—अपनी दादी के साथ रहने वाले दो नाबालिग बच्चों के पिता की मृत्यु के बाद—बच्चों की अभिरक्षाका दावा करने वाली मां—नाबालिग बच्चों की कस्टडी—केवल साक्ष्य के आधार पर—सर्वोपरि विचार—बच्चों का कल्याण—बच्चों को अपने पोते से प्यार और स्नेह मिलना- माता-पिता का घर - दादाजी पहले से ही अपने पोते के पक्ष में 20 एकड़ जमीन हस्तांतरित कर रहे हैं - बच्चे अपनी दादी और जिस घर में रह रहे हैं, उसके साथ सहज महसूस करते हैं - बच्चों के लिए अपनी दादी का घर छोड़ने और अपनी मां के साथ रहने के लिए मजबूर होना बेहद दर्दनाक है, जिसके साथ वे रहते हैं कई वर्षों तक जीवित नहीं रहे—याचिका खारिज।

अभिनिर्धारित किया गया कि कि बच्चे अपनी दादी की स्नेहपूर्ण देखभाल में हैं और जन्म के बाद से ही उनके साथ रह रहे हैं। बच्चों को अपने दादा-दादी के घर में जो प्यार और स्नेह मिल रहा था, वह इस बात से भी पता चलता है कि दादा, जो 24 एकड़ जमीन के मालिक थे, ने उसमें से 20 एकड़ जमीन अपने पोते के पक्ष में कर दी। और याचिकाकर्ता को चार एकड़ जमीन दी। बच्चों की उम्र 11 साल और 9 साल है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने अपने बच्चों की अभिरक्षाके लिए कुछ प्रयास किए, लेकिन फिर 29 जुलाई 2005 को पंचायत की उपस्थिति और पुलिस के समक्ष समझौता करके मामले को निपटाने का फैसला किया।

(पैरा 22)

इसके अलावा, यह माना गया कि नाबालिग बच्चों के कल्याण पर विचार करने के अलावा, जो सर्वोपरि विचार है और ऐसे प्रश्नों पर निर्णय लेते समय न्यायालय को इस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाना बेहद दर्दनाक होगा। उनकी दादी माँ जिसके वे आदी हैं और जिसका निवास उनका प्राकृतिक घर माना जाता था और जो भाग्य की विचित्रता के बावजूद अपनी माँ के साथ रहने के लिए बनी हुई है, जिसके साथ वे कई वर्षों तक कभी नहीं रहे।

सरबती बनाम फूलवती (महेश ग्रोवर, न्यायमूर्ति.) 489

(पैरा 23)

इसके अलावा, मैं इसे एक ऐसा मामला नहीं मानता जहां इस न्यायालय को याचिकाकर्ता को नाबालिग बच्चों की अभिरक्षादेने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में हस्तक्षेप करना चाहिए, खासकर मामले की दी गई परिस्थितियों में। जहां न्यायालय की राय है कि उन्हें उस वातावरण से हटाना उनके हित के विरुद्ध होगा जहां उन्हें सुरक्षित रखा गया है,

(पैरा 25)

महेश ग्रोवर, न्यायमूर्ति.

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका श्रीमती द्वारा दायर की गई है। स्वर्गीय श्री कुलदीप सिंह की सरबती विधवा, निवासी गांव बधावर, तहसील और जिला हिसार को बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए प्रतिवादी श्रीमती को निर्देशित करना। फूलवती ने नाबालिग बच्चों, आशीष कुमार और सुश्री पूजा को अपनी अवैध अभिरक्षासे रिहा करने के लिए कहा।

(2) याचिकाकर्ता ने कहा है कि वह उपरोक्त नाबालिग बच्चों की मां और प्राकृतिक अभिभावक है। उनके पति-कुलदीप सिंह और बच्चों के पिता, जो अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे, की उनके पिता-दरिया सिंह के जीवनकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। उनकी छह बहनें थीं और वे सभी शादीशुदा हैं और अलग-अलग जगहों पर बस गई हैं। कुलदीप सिंह की मृत्यु के बाद, उनके पिता दरिया सिंह ने 4 नवंबर, 2004 को एक पंजीकृत वसीयत निष्पादित की, जिसमें उनकी संपत्ति का 5/6 वां हिस्सा पोते आशीष कुमार के पक्ष में और 1/6 हिस्सा याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया गया। दरिया सिंह की बेटियों को विशेष रूप से विरासत से बाहर रखा गया था। कुलदीप सिंह की मृत्यु के कुछ समय बाद दरिया सिंह का भी निधन हो गया।

(3) याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसकी छह भाभियों के कहने पर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन नाबालिग बच्चे, आशीष कुमार और सुश्री पूजा अपनी दादी, यानी के साथ रहे। प्रतिवादी और वे अभी भी उसके साथ रह रहे हैं।

(4) आगे कहा गया है कि उपरोक्त वसीयत को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता की भाभी द्वारा 19 सितंबर, 2005 को घोषणा के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया गया था। हालाँकि, कहा जाता है कि इस पर कार्रवाई की गई है और राजस्व अधिकारियों द्वारा आशीष कुमार के पक्ष में आवश्यक उत्परिवर्तन दर्ज किया गया है।

(5) नोटिस पर, प्रतिवादी-श्रीमती। फूलवती उपस्थित हुईं और याचिका का जोरदार विरोध किया। उन्होंने इस बात पर विवाद किया कि नाबालिग बच्चों की अभिरक्षाको अवैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह उनकी दादी हैं। अपने लिखित बयान में, उन्होंने कहा कि उनके बेटे-कुलदीप सिंह की मृत्यु के बाद से, बच्चे उनके साथ रह रहे थे और उन्हें बड़े प्यार और स्नेह से पाला जा रहा था, जबकि याचिकाकर्ता ने खुद उन्हें छोड़ दिया था। उन्होंने आगे कहा कि उन दोनों को शिक्षा

किरण पब्लिक स्कूल, सूर्य नगर, हिसार में दाखिला दिया गया था और राम रतन और सरजीत, जो उनके दामाद हैं, की सक्रिय सहायता से उनकी शैक्षिक और अन्य जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। प्रतिवादी ने आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता ने अपने भाई के कहने पर 20 जून, 2005 और 30 जून, 2005 को पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस ने बच्चों को अपने साथ बुलाया और बच्चों की इच्छा की पुष्टि और पता लगाने के बाद, जिन्होंने कहा कि वे दादी के साथ रहना चाहते हैं, मामले में समझौता हो गया। उन्होंने संबंधित सब इंस्पेक्टर की रिपोर्ट का हवाला दिया है, जो अनुलग्नक आर 2 है।

(6) प्रतिवादी ने कहा है कि वह अपनी बेटियों द्वारा नाबालिग आशीष कुमार के पक्ष में वसीयत को चुनौती देने के लिए दायर मुकदमे का मुकाबला कर रही है और अदालत ने कार्यवाही के दौरान उसके हितों की रक्षा के लिए उसे उसका अभिभावक नियुक्त किया है। उन्होंने आगे कहा है कि नाबालिग बच्चे के पक्ष में वसीयत का बचाव करते हुए उनके द्वारा एक लिखित बयान दायर किया गया है।

(7) मामले की उपरोक्त पृष्ठभूमि में वर्तमान विवाद का उत्तर दिया जा रहा है।

(8) शुरुआत में, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी नहीं की जा सकती क्योंकि नाबालिग बच्चों को प्रतिवादी की अवैध अभिरक्षामें नहीं कहा जा सकता है। वे उनके जन्म के समय से ही उनके साथ रह रहे हैं क्योंकि उनके पिता कुलदीप सिंह उसी घर में रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता ने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया और वह अपने भाई के साथ दरिया सिंह के हिस्से को हड़पने में रुचि रखती है, जो कि नाबालिग-आशीष कुमार के पक्ष में वसीयत की गई है। मामले के इस परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी उनकी दादी है, नाबालिग बच्चों की अभिरक्षाको

अवैध नहीं कहा जा सकता है और वर्तमान रिट याचिका निर्धारित कानून के मद्देनजर सुनवाई योग्य नहीं है। सुमेधा नागपाल बनाम दिल्ली राज्य और अन्य में उच्चतम न्यायालय, (1)।

सरबती बनाम फूलवती (महेश ग्रोवर, न्यायमूर्ति.) 491

(9) दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि वर्तमान स्वरूप में रिट कायम रखने योग्य है और अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने गोहर बेगम बनाम सुग्गी उर्फ नाजमा बेगम और अन्य (2), येंदामुरी वीरन्ना पर भरोसा रखा। बनाम येंदामुरी सत्यम और अन्य (3), एम रु. इसाबेल सिंह बनाम राम सिंह और अन्य (4), और मम तज़ बेगम बनाम म उबारक हुसैन (5)।

(10) मैंने संबंधित दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

(11) इस मामले के तथ्यों से नाबालिग बच्चों की अभिरक्षाको लेकर एक गंभीर विवाद का पता चलता है। एक ओर, याचिकाकर्ता, जो माँ है, उनकी अभिरक्षा का दावा करती है, जबकि दूसरी ओर, प्रतिवादी, दादी है, दावा करती है कि बच्चे उसी घर में पैदा हुए जहाँ वह रहती थी और उनकी मृत्यु के बाद उसका बेटा-कुलदीप सिंह, वे उसके साथ रहना जारी रखे हुए हैं और यह याचिकाकर्ता ही था, जिसने बच्चों को छोड़कर वैवाहिक घर छोड़ दिया था और अब यह केवल संपत्ति है जो नाबालिग बच्चे-आशीष कुमार के पक्ष में वसीयत की गई है। उनके पति दरिया सिंह, जो बच्चों के दादा थे, द्वारा 5/6 हिस्सेदारी की सीमा, जिसने वर्तमान याचिका को प्रेरित किया है। यह भी कहा जाता है कि दरिया सिंह ने संपत्ति में अपना छठा हिस्सा देकर याचिकाकर्ता की देखभाल की है।

(12) इसलिए, सवाल यह होगा कि परिस्थितियाँ जो भी हों, क्या यह कहा जा सकता है कि जिस दादी के पास बच्चे पैदा होने के बाद से बच्चे रह रहे हैं, वह बच्चों को उनकी इच्छा के विरुद्ध और इसके विपरीत अवैध अभिरक्षामें रख रही है। उनके हित के लिए।

(13) मुझे डर है, उत्तर आवश्यक रूप से नकारात्मक होगा।

(14) इसके अलावा, एक रिट याचिका की रखरखाव भी एक विवादास्पद मुद्दा हो सकता है। एक रिट याचिका में, जिसका निर्णय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए कथनों और हलफनामों के आधार पर किया जाना है, इसका उत्तर देना एक कठिन प्रश्न प्रतीत होता है जब विवाद तथ्यों में गहराई से फंस जाता है जहां बच्चे स्पष्ट रूप से मोहरे बन जाते हैं। खिलाड़ियों की इच्छा और इच्छा के अनुसार आगे बढ़ें, जिन्होंने अपने जीवन को शतरंज की बिसात बनाना चुना है।

(15) मेरी राय में, नाबालिग बच्चों की अभिरक्षाके संबंध में प्रश्न, जो वर्तमान मामले में उत्पन्न हुआ है, का उत्तर केवल उन साक्ष्यों के आधार पर दिया जा सकता है जो वर्तमान में कथित तथ्यों और प्रति-तथ्यों को प्रमाणित कर सकते हैं।

(16) गोहर बेगम के मामले में (सुप्रा) जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने भरोसा किया, तथ्य पूरी तरह से अलग थे। वहाँ माँ का मुकाबला उसकी मौसी से था। उनके मामले में दोनों पक्ष मुस्लिम समुदाय से थे और पेशे से गायिका लड़कियां थीं। उस मामले में शीर्ष अदालत के समक्ष अपीलकर्ता अपनी चाची की कंपनी में रह रही थी, जिसने उसे दो व्यक्तियों की कंपनी में रखकर आर्थिक लाभ प्राप्त किया था। इसके बाद, कहा जाता है कि उसने एक लड़की को जन्म दिया और विशेष रूप से एक आदमी के साथ रहना शुरू कर दिया। इसके बाद, अपीलकर्ता के दो और बच्चे पैदा हुए, अपीलकर्ता के एक नाबालिग बच्चे को उसकी मौसी ने निकाल लिया और थोड़े समय के लिए पाकिस्तान ले गई और उसके बाद, जब वह भारत वापस लौटी, तो उसने बच्चे को सौंपने से इनकार कर दिया। माँ। यह उन परिस्थितियों में था कि प्रश्न का उत्तर

दिया गया था कि सीआरपीसी, 1898 की धारा 491 के तहत कार्यवाही कायम थी और उस धारा के अर्थ के तहत बच्चे को अवैध अभिरक्षामें माना गया था।

(17) इसी तरह, श्रीमती इसाबेल सिंह के मामले (सुप्रा) में, तथ्य पूरी तरह से अलग थे, क्योंकि, पार्टियों ने फ्लोरिडा (संयुक्त राज्य अमेरिका) में एक-दूसरे को तलाक दे दिया था और अलग होते समय, एक अतिरिक्त खंड जोड़ा गया था समझौता कि बच्चों को दूसरे पति या पत्नी की लिखित सहमति के अलावा वर्जीनिया राज्य से किसी भी पक्ष द्वारा नहीं हटाया जाएगा। इसके बाद बच्चों को पिता ने उनकी मां की देखरेख से हटा दिया और उनकी मां की सहमति के बिना गुप्त रूप से भारत ले आए।

सरबती बनाम फूलवती (महेश ग्रोवर, न्यायमूर्ति.) 493

(18) इसी तरह, मुमताज बेगम के मामले (सुप्रा) में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य ने माना कि बच्चा केवल चार साल का था, उसे मातृ स्नेह और प्यार की सख्त जरूरत थी और मां को अभिरक्षादेते समय, यह भी देखा गया कि पिता को बच्चे तक पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता है।

(19) लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय असहाय है और ऐसी परिस्थितियों में याचिका पर विचार नहीं कर सकता है जहां नाबालिग बच्चे या बच्चों की अभिरक्षाकी प्रार्थना की जाती है।

(20) अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति काफी व्यापक है और इसे न तो स्ट्रैंग-जैकेट में संलग्न किया जा सकता है और न ही किसी कृत्रिम रूप से बनाए गए बार की दया पर रखा जा सकता है, क्योंकि भारत के संविधान ने कभी भी ऐसा करने का इरादा नहीं किया था।

(21) लागू किया जाने वाला परीक्षण हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर होता है जो अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप की गारंटी दे सकता है या उच्च न्यायालय को अपने हाथों को रोकने के लिए मजबूर कर सकता है ताकि ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से बचा जा सके।

(22) जैसा कि ऊपर विस्तृत है और के तथ्यों से पता चला है वर्तमान मामला, बच्चे अपनी दादी-माँ की प्यार भरी देखभाल में हैं और जब से वे पैदा हुए हैं तब से उसके साथ रह रहे हैं. प्यार और स्नेह जो बच्चों को उनके भव्य घर में मिल रहा था, माता-पिता भी इस तथ्य से परिलक्षित होते हैं कि दादा-दादी, अर्थात्, दरिया सिंह, जो 24 एकड़ भूमि के मालिक थे, ने 20 एकड़ जमीन हस्तांतरित की अपने पोता के पक्ष में, अर्थात्, आशीष कुमार और दिया याचिकाकर्ता को चार एकड़. बच्चों की उम्र 11 साल और 9 साल है. याचिकाकर्ता ने उसकी अभिरक्षाके लिए कुछ प्रयास किए

(23) इसके अलावा, नाबालिग बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, जो कि सर्वोपरि विचार है, ऐसे प्रश्नों पर निर्णय लेते समय न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके लिए घर छोड़ने के लिए मजबूर होना बेहद दर्दनाक होगा। अपनी दादी का घर जिसके वे आदी हैं और जो उनका प्राकृतिक घर माना जाता था और जो भाग्य की विचित्रता के बावजूद अपनी माँ के साथ रहने के लिए बना हुआ है जिसके साथ वे कई वर्षों तक कभी नहीं रहे।

(24) इस न्यायालय ने, कार्यवाही के दौरान, बच्चों को अदालत में उपस्थित होने और उनके विचार जानने का निर्देश देकर यह भी प्रयास किया कि वे स्पष्ट रूप से अपनी दादी और जिस घर में रह रहे थे, उसके साथ सहज थे। जिला न्यायाधीश, भिवानी की रिपोर्ट भी मांगी गई थी

ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनकी शिक्षा का ध्यान रखा जा रहा है और क्या स्कूल, अर्थात् सैनिक हाई स्कूल, विद्या नगर, भिवानी जहां वे वर्तमान में पढ़ रहे थे, पर्याप्त उपयुक्त था। जिस पर जिला न्यायाधीश ने राय दी कि उक्त स्कूल में पर्याप्त बुनियादी ढांचा था और यह स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा द्वारा मान्यता प्राप्त है और जब उनके द्वारा स्कूल का निरीक्षण किया गया तो बच्चे उपस्थित थे और वे दोनों कक्षा VIIIth और कक्षा VIth में पढ़ रहे थे। क्रमश।

(25) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं इसे एक उपयुक्त मामला नहीं मानता जहां इस न्यायालय को याचिकाकर्ता को नाबालिग बच्चों की अभिरक्षादेने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में हस्तक्षेप करना चाहिए, खासकर दिए गए सेट में मामले की परिस्थितियों में जहां न्यायालय की राय है कि उन्हें उस वातावरण से हटाना उनके हित के विरुद्ध होगा जहां उन्हें सुरक्षित रखा गया है।

(26) उपरोक्त कारणों से यह याचिका खारिज की जाती है।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शैली नैन,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

पानीपत, हरियाणा